वादग्रस्त आराजी में सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में ही निहित होना साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दोनों बिंदू सायलान के पक्ष साबित हुए है। हस्तगत प्रकरण में सायलान व गैरसायलान अभिलिखित खातेदार है। गैरसायलान सायलान की मौके व कब्जा काश्त की भूमि पर दखलअंदाजी करते आ रहे है। यदि गैरसायलान अपने मंसूबो में कामयाब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सायलान को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार यदि सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **उभयपक्षकारान** को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **उभयपक्षकारान्** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 301 रकबा 6.1107 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 302 रकबा 2.4524 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 305 रकबा 1.3193 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 301/1 रकबा 0.0567 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 303 रकबा 2.4848 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 304 रकबा 2.4038 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)